कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञापित एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से परिषद मुख्यालय पर छात्र/छात्राओं की जन्मतिथि संशोधन सम्बन्धी प्रकरण प्राप्त होते रहते हैं। सही जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं की सत्यापित टी0सी0 प्रार्थी द्वारा संलग्न की जाती है। बहुत से प्रकरणों में यह देखा जाता है कि बच्चे की आयु प्रवेश के समय शिक्षा के अधिकार अधिनियम– 2009 द्वारा निर्धारित आयु से कम होती है। यह भी देखा जाता है कि जन्मतिथि के अंकन में प्रधानाध्यापकों द्वारा उस अभिलेख का उल्लेख नहीं किया जाता जिसके आधार पर बच्चों के प्रवेश के समय उनकी जन्मतिथि का अंकन किया जाता है। यह उक्त अभिलेखों के प्रति संदेह उत्पन्न करता है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत हाईस्कूल प्रमाणपत्र सह अंकपत्र में जन्मतिथि का अंकन अति महत्वपूर्ण होता है, अतः उक्त के दृष्टिगत् निम्नवत् कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है–

1. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम– 2009 के द्वारा कक्षा 1 में प्रवेश की आयु 06 वर्ष निर्धारित की गयी है।
2. उक्त अधिनियम की धारा– 14 तथा नियमावली 2011 के नियम–9 में स्पष्ट रूप से जन्मतिथि अंकन हेतु जन्म प्रमाण पत्र तथा इसकी अनुलब्धता की दशा में निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है:–

   जब कभी जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के अधीन कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध न हो तो विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को बालक की आयु के प्रमाण के रूप में समझा जायेगा:

   (क) अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ पंजी अभिलेख।

   (ख) आंगनबाड़ी का अभिलेख।

   (ग) जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धी ग्राम पंजी।

   (घ) माता–पिता या अभिभावक द्वारा बालक की आयु की शपथ–पत्र के माध्यम से घोषणा।

   विद्यालय में प्रथम प्रवेश के समय उपर्युक्त में से किसी अभिलेख के आधार पर ही छात्र/छात्राओं की जन्मतिथि का अंकन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(भगवती सिंह)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः मा0शि0प0/मुख्यालय/अभिलेख/592(1-6) दिनांकः 27·08·2026

उपर्युक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्र के सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति जनहित से सम्बन्धित है। अतएव इसे अपने दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रमुख स्थान पर निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
3. अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/प्रयागराज /वाराणसी एवं गोरखपुर।
4. समस्त जनपद, जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जनपद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. मीडिया सेल, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(भगवती सिंह)
सचिव